मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-14

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2008 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 103 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 88 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध शिकार किये जाने;

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के अधिकांश ग्रामों की सड़कों के अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य योजना मंडल में लंबित रहने से बजट स्वीकृत न हो पाने;

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की प्रदेश के कई ग्रामों के स्कूलों में छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने;

(4) श्री किशोर समरीते, सदस्य की बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के कोटवारों को कई माह से वेतन न मिलने;

(5) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत राशि दिये जाने;

(6) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य की भोपाल की तात्याटोपे नगर स्थित स्टेडियम के रख-रखाव के नाम पर अनियमितता होने;

(7) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के संभागीय मंडल कार्यालय से कृषि उपज मंडी तक सड़क के जीर्ण-शीर्ण होने ;

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की प्रदेश के सहायक प्राध्यापकों को पी.एच.डी. के अभाव में पदोन्नति न मिलने

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्राम सगरा जिला भिण्ड के नाबालिग युवक की नसबंदी किये जाने तथा

(10) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर में बड़ोदा लिंक रोड की हालत जर्जर होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(श्री राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, ओंकारेश्वर में सत्याग्रह संबंधी घटना पर दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गये).

(सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यगण द्वारा श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में कथित टिप्पणी के विरोध में उनसे खेद व्यक्त करने की मांग की गई तथा नारेबाजी की गई। सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण पूर्वाह्न 11.39 बजे कार्यवाही 10 मिनिट के लिए स्थगित की गई)

पूर्वाह्न 11.52 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च 2008 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है

क्रमांक	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) तथा	30 मिनिट
(3)	मध्यप्रदेश काटन कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008)	30 मिनिट

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दिनांक 19 मार्च, 2008 को समस्त शासकीय कार्य सम्पादित हो जाने के बाद सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी जायेगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो शिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हे सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के बिस्मिल नगर कालोनी में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सीधी जिले के बैगा आदिवासियों को अन्य जिलों की भांति शासन की नीतियों का लाभ न मिलने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 25	खनिज साधन के लिए बारह करोड़, छियासी लाख, अट्ठानवे हजार रूपये
अनुदान संख्या - 26	संस्कृति के लिए पैंतीस करोड़, बीस लाख, निन्यानवे हजार रूपये
अनुदान संख्या - 32	जन सम्पर्क के लिए इकसठ करोड़, पचास लाख, बारह हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 25	3, 7
मांग संख्या - 26	2, 4
मांग संख्या - 32	4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(5) श्री आरिफ अकील
(6) श्री शंकरलाल तिवारी
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(8) श्री धरमू राय
(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(11) श्री किशोर समरीते
(12) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
(13) श्री दुर्गालाल विजय

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक सौ सड़सठ करोड़, बयालीस लाख, छः हजार रूपये
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए सात सौ साठ करोड़, चौदह लाख, चंवालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए चार करोड़ रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 47	2, 4
मांग संख्या - 48	1, 3
मांग संख्या - 70	1

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री राजनारायण सिंह पूरनी

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(5) श्रीमती सुधा जैन
(6) श्री किशोर समरीते
(7) श्री बाबूलाल महाजन
(8) श्री ताराचंद बावरिया
(9) श्रीमती अलका जैन
(10) श्री ध्रुव प्रताप सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद) नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए तीन सौ पैंतीस करोड़, चौबीस लाख, पिच्यासी हजार रूपये
अनुदान संख्या - 63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए ग्यारह करोड़, सैंतीस लाख, आठ हजार रूपये
अनुदान संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक सौ चौरानवे करोड़, पचास लाख, इक्यासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 39	1
मांग संख्या - 63	1
मांग संख्या - 66	1

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री लालसिंह आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(5) श्री शंकरलाल तिवारी
(6) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(7) श्री धरमू राय
(8) श्री इन्द्रजीत कुमार
(9) श्री किशोर समरीते

श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद 4 के उप पद (5) तक कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुर्नग्रहण)

(श्री राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य द्वारा "मंत्री जी अध्यक्ष महोदय की बात नहीं मान रहे है", कहते हुए सदन से बहिगर्मन किया गया.)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछलीपालन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 16 मछली पालन के लिए चौबीस करोड़, अट्ठानवे लाख, छियासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 16	2, 3

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(5) श्री कैलाश चावला
(6) श्री किशोर समरीते

श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछलीपालन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री करण सिंह वर्मा, ग्रामोद्योग मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए अड़तालीस करोड़, उनतीस लाख, सतहत्तर हजार रूपये
अनुदान संख्या - 78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए उन्यासी करोड़, उन्यासी लाख, बयालीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 56	4, 5
मांग संख्या - 78	1, 2

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री कपूर चंद घुवारा
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री आरिफ अकील
(5) श्री किशोर समरीते

श्री करण सिंह वर्मा, ग्रामोद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.10 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 (फाल्गुन 28, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.